संख्या-931/2018/1564/22-2-2018-17(20)/2012

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी जनपद-अलीगढ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी डिप्टी सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी-सूरजपुर, थाना-बरला, जनपद-अलीगढ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी बटवारे के विवाद को लेकर दिनांक 15/16.03.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा व चाकू से मारकर 01 महिला व 01 पुरूष की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-214/1981 में भा0द0वि0 की धारा- 452, 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अलीगढ के आदेश दिनांक 20.10.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2001 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2018 तक 16 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 11 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2017 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी डिप्टी सिंह (बन्दी संख्या-6899) पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी जनपद-अलीगढ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-931/2018/1564(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in